

जनपद – जालौन , उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट सं0 55, दिनांक –09.11.2020

दिनांक 09.11.2020 को थाना कोत0 उरई पुलिस, एस0ओ0जी0 व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन की लोकेशन देने वाले व लिपटर मशीन (नाव) बनाकर बालू के घाटो/नदियों में अवैध बालू खनन कर उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने वाले 11 शातिर अभि0गण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभि0गण का विवरण –

- 1-जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मातादीन नि0 कस्बा व थाना एट जनपद जालौन।
- 2.राम मिलन पुत्र राम सजीवने नि0 बरराहा थाना कोत0 हमीरपुर जनपद हमीरपुर।
- 3-अमित कुमार पुत्र चन्द्रशेखर नि0 बरराहा थाना कोत0 हमीरपुर जनपद हमीरपुर।
- 4-तौसीफ पुत्र तौफीक अहमद नि0 मु0 बुधौलियन कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर।
- 5-शेर सिंह पुत्र गोरे सिंह नुनिया नि0 छत्तासिंह का पुरवा थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर।
- 6-नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 हुक्कुम सिंह नि0 छत्तासिंह का पुरवा थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर।
- 7-मो0 गुलजार पुत्र मो0 इशाक नि0 मु0 आजाद नगर बल्लभनगर थाना कोत0 उरई जनपद जालौन।
- 8-मुन्ना बिन्द पुत्र गोपाल बिन्द नि0 राजपुर थाना बासझा जनपद बलिया।
- 9-सत्येन्द्र बिन्द पुत्र मटरू बिन्द नि0 फत्युल्लापुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।
- 10-मनोज शर्मा पुत्र कन्हैयालाल शर्मा नि0 बकशापुर थाना कोत0 जनपद गाजीपुर।
- 11.इफ्तखार अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद नि0 ग्राम प्रतापपुर थाना मांझा जनपद गोपालगंज बिहार।

बरामदगी का विवरण -

- 1 – 01 अदद तमंचा 315 बोर एव 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 2 – 17 अदद ट्रक के इंजन अशोका लिलेण्ड कम्पनी।
- 3-01 लिपटर मशीन (नाव) मय इंजन के।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

अभियुक्तगण को राठ रोड़ पुल के समीप से आज दिनांक 09.11.2020 समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

प्रभारी निरीक्षक थाना कोत0 उरई, प्रभारी एस0ओ0जी0 व सर्विलांस प्रभारी मय हमराह फोर्स थाना कोत0 उरई क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर दविश देकर 11 नफर अभियुक्त गणों को 17 अदद अशोका लिलेण्ड कम्पनी के ट्रक इंजन, 01 अदद लिपटर (नाव) मय इंजन व 01 अदद 315 बोर अवैध तमंचा एवं 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

इस सम्बन्ध में कोतवाली उरई पर मु0ओ0सं0 835/20 धारा 41/411/413/414/420 भादवि0 एवं मु0ओ0सं0 836/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जितेन्द्र कुमार के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुंछताछ पर अभियुक्तगणों ने बताया कि ये लिपटर मशीन (नाव) को बुन्देलखण्ड के जनपदो व सीमावर्ती राज्य में मांग के अनुसार बनाकर सप्लाई की जाती है एक लिपटर मशीन (नाव) करीब 4 लाख रू0 में तैयार करके बेचते हैं इस लिपटर मशीन (नाव) को बालू के घाटो/ नदियों में लगाकर अवैध रूप से बालू निकालने के काम में उपयोग की जाती है।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मातादीन नि0 कस्बा व थाना एट जनपद जालौन के विरुद्ध मु0ओ0सं 145/19 धारा 379/411/120B थाना कोत0 कालपी जनपद जालौन पंजीकृत है इसके अतिरिक्त अभियुक्त गणों के अपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपदो से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री सुधाकर मिश्रा थाना कोत0 उरई
- 2-उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह सर्विलांस प्रभारी जनपद जालौन
- 3-उ0नि0 श्री चन्दन पाण्डेय एस0ओ0जी0 प्रभारी जनपद जालौन

- 4-उ०नि० श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी मण्डी थाना कोत० उरई
- 5-उ०नि० श्री अशोक कुमार वर्मा चौकी प्रभारी फैक्ट्री एरिया
- 6-का० 380 भूपेन्द्र सिंह एस०ओ०जी० जनपद जालौन
- 7- का० 1664 विनय प्रताप सिंह एस०ओ०जी० जनपद जालौन
- 8- का० 396 निरंजन सिंह एस०ओ०जी० जनपद जालौन
- 9-आरक्षी चालक पुनीत कुमार एस०ओ०जी० जनपद जालौन
- 10- का० 1327 जगदीश चन्द्र सर्विलांस सेल जनपद जालौन
- 11- का० 1036 गौरव बाजपेई सर्विलांस सेल जनपद जालौन
- 12-का० 1080 कर्मवीर सिंह सर्विलांस सेल जनपद जालौन
- 13- का० 1539 रोहित सिंह रावत सर्विलांस सेल जनपद जालौन
- 14-का० 1856 प्रदीप कुमार कोत० उरई जनपद जालौन
- 15-का० 15 अखिल कुमार मण्डी चौकी कोत० उरई
- 16-का० 1198 आशुतोष गौतम कोत० उरई
- 17-म०का० प्रियांशी कोत० उरई
- 18-चालक मुकेश कुमार पुरोहित